

विचार बिन्दु

सुधार के बिना पश्चाताप ऐसा है जैसे सुराख बंद किये बिना जहाज में से पानी निकालना। –पामर

सीवर लाइनों की सफाई अब भी जानलेवा: सरकार सीरियस क्यों नहीं है?

22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर में एक हृदयविदारक घटना ने देशभर का ध्यान हमारी ओर खींचा, और यह ध्यानकर्षण कलंक का कारक बना। करणी औद्योगिक क्षेत्र में भवानी वूलन मिल के सेंटिक टैंक को सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारी-अनिल कुमार चांगरा (36), सागर राज लखन (30), और गणेश (28)– जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से मर गए। यह हादसा उसी दिन हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस घटना ने राजस्थान का सिर शर्म से झुका दिया। इस घटना ने मैनुअल स्कैवेंजिंग की जानलेवा परिस्थितियों, सुरक्षा उपायों की कमी, और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया। वैसे यह कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदेश में ऐसी घटना का होना बहुत चिन्ताजनक है। देखना है राज्य सरकार इससे क्या सबक लेती है। यूँ राजस्थान और देश के अन्य विकसित राज्यों में ऐसी घटनाएँ बार-बार सामने आती रहती हैं, जो सामाजिक उदासीनता, आर्थिक शोषण, और तकनीकी पिछड़ेपन को दर्शाती हैं।

बीकानेर की घटना के ईद-गिर्द सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सामाजिक दृष्टिकोण, मैनुअल सफाई की निरंतरता, ठेकेदारों की जवाबदेही, भारत में रोबोटिक क्लीनिंग, विदेशी प्रथाएँ, सरकारी सहायता, और समाधान के सुझावों सब को देखने-परखने की जरूरत है। राजस्थान में मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान होने वाली मौतें एक गंभीर संकट हैं। बीकानेर की घटना से पहले, 2025 में जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में को चार सफाई कर्मचारियों की सेंटिक टैंक की सफाई के दौरान मौत हुई थी। डींग में भी तीन मजदूरों की जान गई थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2023 तक देशभर में सीवर और सेंटिक टैंक की सफाई के दौरान 377 लोग मरे, जिनमें राजस्थान का हिस्सा उल्लेखनीय था। बीकानेर में पुलिस की प्रारंभिक जाँच के अनुसार, सेंटिक टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों की उच्च मात्रा थी। मजदूरों की बिना मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, या सुरक्षात्मक सूट के उतारा गया। एक मजदूर के बेहोश होने पर दो अन्य उसे बचाने उतरे, लेकिन वे भी गैस की चपेट में आ गए। यह लापरवाही ठेकेदारों, फैक्ट्री मालिकों, और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है, जो 2013 के मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम का उल्लंघन है।

देश के अन्य कथित तौर पर विकसित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, और दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक है। महाराष्ट्र में 2021–2024 के बीच 18 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, जैसा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है। मुंबई में 2022 में तीन मजदूरों की सेंटिक टैंक में दम घुटने से मौत हुई। स्वयं प्रधानमंत्री के गृहराज्य गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में 2023–2024 में 12 मौतें हुईं। तमिलनाडु में चेन्नई में 2024 में दो मजदूरों की मौत हुई। कर्नाटक में बैंगलुरु में 2023 में तीन मजदूर मरे। दिल्ली में 2024 में चार ऐसी घटनाएँ दर्ज हुई। इन राज्यों में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर कानूनी प्रतिबंध के बावजूद, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक आर्थिक असमानताएँ इसे बनाए रखती हैं। सवाल है सफाई कर्मचारियों के प्रति समाज का सम्मानजनक नजरिया क्यों नहीं बन रहा? इसका मूल कारण भारत की जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव है। सफाई कर्मचारी अधिकतर दलित समुदायों से हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से ‘अछूत’ माना गया। यह मानसिकता आज भी समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है, जिसके कारण सफाई के काम को निम्न और अपमानजनक समझा जाता है। लोग सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने के बजाय उनके काम को उनकी ‘जातिगत नियति’ मान लेते हैं।

स्कूलों, मॉडिया, और सामाजिक संवाद में इस भेदभाव को खत्म करने के प्रयास नगण्य हैं। दूसरा, मध्यम और उच्च वर्ग का स्वार्थी दृष्टिकोण भी जिम्मेदार है। लोग सस्ते और त्वरित समाधान के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्राथमिकता देते हैं, बिना मजदूरों की जान की परवाह किए। तीसरा, जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि मैनुअल स्कैवेंजिंग गैरकानूनी है और इसके खतरनाक परिणाम हैं। लोग मैनुअल सफाई क्यों करते या होने देते हैं यह भी समझना जरूरी है, इसका पहला कारण आर्थिक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मशीनों की तुलना में सस्ता है। निजी बरों, छोटे उद्योगों, और यहाँ तक कि नगरीय निकाय भी लागत बचाने के लिए मजदूरों को बिना उपकरणों के खरसक काम में उतारते हैं। दूसरा, पुराने सीवर और सेंटिक टैंक डिजाइन मशीनों के उपयोग को मुश्किल बनाते हैं। तीसरा, ठेकेदार और मालिक जानबूझकर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं, क्योंकि सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध है। चौथा, समाज में नैतिक जवाबदेही की कमी है। लोग यह मानते हैं कि यह मजदूरों का काम है, और उनकी मौतों को ‘दुर्भाग्य’ मानकर भुला दिया जाता है। अब यह भी देखने वाली बात है कि सफाई कर्मचारी और ठेकेदार सावधानी क्यों नहीं बरते? सफाई कर्मचारियों के मामले में, गरीबी और बेरोजगारी उन्हें मजबूर करती है। अधिकांश अनुबंधित मजदूर हैं, जिन्हें न नौकरी की सुरक्षा है, न प्रशिक्षण, और न ही सुरक्षा उपकरण। वे ठेकेदारों के दबाव में बिना सवाल उठाए खतरनाक काम करते हैं।

बीकानेर की घटना सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, और तकनीकी पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास नहीं होंगे, ऐसी त्रासदियाँ जारी रहेंगी। समाज, सरकार, और निजी क्षेत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और अनिल, सागर, या गणेश अपनी जान न गँवाए।

है। वे सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षण, या मशीनों पर खर्च करने से बचते हैं।

बीकानेर की घटना में ठेकेदार ने मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा के टैंक में उतारा, जो PEMSР अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। बिना समुचित उपकरणों के मजदूरों को काम पर लगाने वाले ठेकेदारों का क्या होता है? कानूनी रूप से, PEMSР अधिनियम के तहत ठेकेदारों पर जुर्माना और सात साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, वास्तविकता में कार्रवाई कम होती है। बीकानेर में ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन ऐसी घटनाओं में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019–2023 के बीच देशभर में केवल 15२ मामलों में ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई। इसका कारण प्रशासनिक ढिलाई, भ्रष्टाचार, और प्रभावशाली ठेकेदारों का दबाव है। कई मामलों में, ठेकेदार मामूली जुर्माना देकर बच निकलते हैं। भारत में रोबोटिक क्लीनिंग की स्थिति अभी प्रारंभिक चरण में है। कुछ शहरों में प्रयोग हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, केरल के तिरुवनंतपुरम में 2021 में ‘बैडिकूट’ नामक रोबोट का उपयोग मैनहोल सफाई के लिए शुरू हुआ। यह रोबोट मलबा हटाने और गैस का पता लगाने में सक्षम है। चेन्नई और दिल्ली में भी इसे आसमाया गया। 2024 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1० शहरों में रोबोटिक सफाई के पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए। हालांकि, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं हो रहा। कारण हैं– उच्च लागत (एक रोबोट की कीमत 5० लाख से 1 करोड़ रुपये), रखरखाव की जटिलता, और पुराने सीवर सिस्टम की असंगति। प्रशिक्षित ऑपरेटरों की कमी और सरकारी निवेश की कमी भी बाधाएँ हैं। फिर भी, स्टार्टअप जैसे जेनरोबोटिक्स और मद्रास के शोधकर्ता इस दिशा में काम कर रहे हैं।

विदेशों में मैनुअल स्कैवेंजिंग लगभग समाप्त है। जापान में टोक्यो में सेंसर और कैमरे वाले रोबोट्स सीवर सफाई करते हैं। जर्मनी में आधुनिक सीवर डिजाइन और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य हैं। अमेरिका में हाई-प्रेशर जेट मशीनें और वैक्यूम ट्रक उपयोग होते हैं। मलेशिया में सरकार उपकरणों पर सख्ती देती है। इन देशों में कड़े श्रम कानून और तकनीकी नवाचार मैनुअल सफाई को अनावश्यक बनाते हैं। भारत में ऐसी तकनीक उपलब्ध है, लेकिन लागत और इच्छाशक्ति की कमी बाधक है। मृतकों के परिवारों की सरकारी सहायता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार 3० लाख रुपये मुआवजा, और स्थायी अक्षमता के लिए 2० लाख रुपये दिए जाने चाहिए। बीकानेर में प्रत्येक मृतक के परिवार को 1० लाख रुपये और एक परिजन को सरकारी नौकरी की घोषणा हुई।

कोलकाता में 2025 में तीन मौतों के बाद 1० लाख रुपये प्रारंभिक मुआवजा घोषित हुआ। हालांकि, मुआवजा अक्सर देरी से मिलता है, और परिवारों को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। NCSK स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। इस व्यवस्था में दोष कई स्तरों पर है। स्थानीय प्रशासन और नगरीय निकाय PEMSР अधिनियम लागू करने में विफल हैं। ठेकेदार और निजी कंपनियाँ मुनाफे के लिए सुरक्षा की अनदेखी करती हैं। सामाजिक संरचना दलित समुदायों को शोषित करती है। सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। सरकारी कदमों में राजस्थान में 54 शहरों के लिए सफाई मशीनों की मंजूरी, छह नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, और केंद्र की ‘सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती’ शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2०23 में राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया, लेकिन प्रगति धीमी है। मशीनरी से सफाई न होने के कारणों में उच्च लागत, प्रशिक्षण की कमी, और पुराने सीवर सिस्टम हैं। सफाई कर्मचारियों की माँगें हैं–नियमित वेतन, सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, स्थायी नौकरी, और मैनुअल स्कैवेंजिंग का अंता। सहारनपुर और बीकानेर में घरनों में ये माँगें उठीं।

सुझाव निम्नलिखित हैं:–

पहला, PEMSР अधिनियम का कड़ाई से पालन हो, उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, रोबोटिक और हाई-प्रेशर मशीनों का उपयोग अनिवार्य हो। तीसरा, सीवर सिस्टम अपग्रेड हो। चौथा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और उपकरण मिलें। पाँचवाँ, वैकल्पिक रोजगार के अवसर बनें। छठा, सामाजिक जागरूकता अभियान चलें। सातवाँ, मुआवजा समय पर मिले। आठवाँ, राष्ट्रीय नीति बने। बीकानेर की घटना सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, और तकनीकी पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास नहीं होंगे, ऐसी त्रासदियाँ जारी रहेंगी। समाज, सरकार, और निजी क्षेत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और अनिल, सागर, या गणेश अपनी जान न गँवाए।

–**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक



महावीर सिंह

7 से 1० मई 2025 के तीन दिवसीय भारत–पाक संघर्ष ने बहुत सी खबरिया चैनलस को कश्मीर मुद्दे पर सही, गलत, भ्रामक तथ्यों को जनता को परोसने का मौका दे दिया। बेसिर–पैर की अनेकों बातों पर प्राइम टाइम में आधी–अधूरी जानकारी वाले पार्टी प्रवक्ताओं को बैठा कर जनता को भ्रमित किया या यों कहेँ मनोरंजन किया। कुछ प्रवक्ता तो नेहरू और माउंटबैटन दंपति के घनिष्ठ पारिवारिक रिश्तों पर टिप्पणी करने से नहीं चुके। वे सब कुछ भ्रम में ही छोड़ गए क्योंकि घटिया प्रवक्ता, पत्रकार, अक्सर इन रिश्तों को वहां तक ले जाते हैं जो मैं नहीं लिख सकता।

जैसा कि हम सब जानते हैं द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटिश सरकार की वो हैसियत नहीं रही की वह उपनिवेशों को ओर अधिक समय अपने अधीन रख सके। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक व राजनीतिक हैसियत स्थिति निम्नतम बिंदु पर थी। जिन मूल्यों को आपो रखकर विश्व के देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण का शंखनाद



रोहित मि्तल

जिस राजस्थान का पूरा इतिहास जल को सहेजने का रहा, वह कुछ सालों से इस परम्परा से विमुख हो गया और जिसकी बीबी कीमत हम सबको चुकानी पड़ी। जल संकट का मूल कारण जल की कमी नहीं, कुप्रबंधन है क्योंकि जल तो सीमित है, उसकी मात्रा बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन बेहतर प्रबंधन हम सब कर सकते हैं और सदियों से करते आए हैं। जल केवल एक तत्व नहीं, यह पृथ्वी की धमनियों में बहता जीवन है। जब यही जल संकट के कगार पर हो तो उसकी रक्षा केवल शासन–प्रशासन नहीं, पूरा समाज करता है। इसी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शंखनाद किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के जल संरक्षण के प्रयास जनसंकल्प में बढल रहे हैं। राजस्थान की धरा, जहां कभी रेत की परतों में जीवन की प्यास छुपी रहती थी, आज जल संरक्षण की एक नई चेतना से जागृत हो रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून से शुरू होकर 2० जून तक विविध एवं विस्तृत गतिविधियां की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में किसी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत से इस अभियान को

अभियान का आगाज

शाहपुर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में वन विभाग शाहपुर द्वारा करोलाई तालाब ढिकोला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमे तालाब क्षेत्र में पॉलीथिन सफ़ाई कर तालाब को प्लास्टिक मुक्त का कार्य किया और तालाब में श्रमदान का कार्य किया गया । मौके पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई ।

बूंदी. एकादश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आमजन को योगाभ्यास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग काउंटडाउन एट हेरिटेज अभियान जारी है।

इस अभियान के तहत आज योग फॉर निरोगी बूंदी की टीम ने

अभियान के तहत आज योग फॉर निरोगी बूंदी की टीम ने योग किया

शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों – नवलसारान झील, जेतसारान झील और सुखमहल पर योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री की

मंशानुरूप जिले के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास आयोजित करने के निर्देशानुसार, जिला कलक्टर अक्षय गोदारा के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान प्रभारी एवं जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के पीएमओ डॉ. सुनील कुशवाह के नेतृत्व में योग एवं प्राकृतिक

चिकित्सा अधिकारी डॉ. विमला परमार और योग प्रशिक्षकों दीपक गुर्जर, भूपेन्द्र योगी, चांदनी वरयानी, शक्ति तोषनीवाल, सरला कुशवाह, पूजा खत्री, प्रश्रु सिंह हगलोत, शिखर पंचौली, अश्विनी शर्मा कूकनी, रविन्द्र गुर्जर और रामलक्ष्मण मीणा सहित 25 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया।

